



उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०

वर्ष 2015—16 में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण / सूचीबद्धता हेतु आवेदन

यहाँ स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएँ

- 1— श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है।
- 2— फर्म का नाम एवं पता
- 3— फर्म के स्वामी का नाम / स्थायी पता
- (पासपोर्ट / ड्राईविंग लाईसेन्स / मतदाता पहचान
- पत्र / आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान
- पत्र में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें)
- 4— वर्तमान पता
- 5— TIN (छायाप्रति संलग्न करें)
- (क्लीरेन्स प्रमाण पत्र सहित)
- 6— आयकर पैन कार्ड नम्बर तथा कर निर्धारण
- का साक्ष्य (संलग्न करें)
- 7— चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 8— हैसियत प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 9— धरोहर धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. जो
- राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०
- के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow
- हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो
- (मूलरूप में संलग्न करें)

दिनांक:—

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यों की विभिन्न श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है:-

1– SUPPLY ITEMS (CIVIL WORK)

Sl. No	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Brick, Brick Bats, Brick Ballast	‘A’
2	Stone Grit, Coarse Sand & Fine Sand	‘B’
3	Hardware/Door Fittings, Miscellaneous Store Material, Glass pan & Mirror.	‘C’
4	Wood Work, Ply, Board, Veneer , Mica, Door shutters etc.	‘D’
5	Sanitary & Water Supply items ie Chinaware, C.P., C.I., G.I., PVC, CPVC, PPR, HDPE, Tiles (All type) & RCC hume Pipe	‘E’
6	Marble, Granite, Kota & Other stone items.	‘F’
7	All type of Interior and Exterior paints, primer, wall putty, polish, P.U. etc.	‘G’

2- SUPPLY & FIXING ITEMS (CIVIL WORK)

S.No	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Aluminum Door & Windows, Structural Glazing work & False ceiling work	‘H’
2	Water proofing work	‘I’
3	Anti termite treatment work	‘J’
4	All type of Fabrication work, Poly carbonate sheeting	‘K’
5	Painting & Polishing work	‘L’
6	RMC work	‘M’
7	All type of Stone work including Granite, Marble & Sand stone etc.	‘N’

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, में वर्ष 2015—16 में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के पंजीकरण/सूचीबद्ध किये जाने के नियम व भातः—

1. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा।
2. सभी आपूर्तिकर्ता जो सूचीबद्धता हेतु उत्सुक हैं, व्यापार कर और आयकर में पंजीकृत होने चाहिए एवं उन्हें व्यापार कर में पंजीकृत तथा आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य (इनकम टैक्स रिटर्न) प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा जिस श्रेणी में पंजीकृत/सूचीबद्ध किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, उस कार्य को करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कम से कम निर्माण निगम की दो इकाईयाँ अथवा निर्माण निगम से बाहर दो विभागों द्वारा निर्गत हो संलग्न करना होगा।
4. बाट-आरूट सामग्रियों की दशा में उत्पादकों का अधिकृत वितरक होना आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म को एक नोटरी सर्टीफाइड भापथ पत्र देना होगा कि उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, तथा संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
6. सूचीबद्धता के लिए आपूर्तिकर्ता को जिलाधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. ग्रुप A, B, C, J प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) ग्रुप D, G I, K, L,M, प्रत्येक श्रेणी के लिए रू0 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) एवं ग्रुप E, F, H, N प्रत्येक श्रेणी के लिए रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) का Bank Draft/F.D.R. जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
8. ग्रुप A, B, C, J प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र), ग्रुप D, G I, K, L,M, (प्रत्येक श्रेणी) हेतु रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) एवं E, F, H, N प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 30,00,000.00 (रूपये तीस लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. आवेदन प्रपत्र सभी संलग्नकों के साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के किसी इकाई प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित होना आवश्यक होगा।
10. पंजीकरण 1 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 1 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
11. पूर्व पंजीकृत/सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता को उपरोक्तानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक कराना होगा।
12. आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की िकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. किसी की विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।